न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 1000/2022
अनवान : –

1. सुभाष चन्द्र सुथार पुत्र लुणाराम जाति सुथार निवासी चक राजासर तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा, अधिवक्ता **वादी**
श्री पेरोकार राज

<u>निर्णय</u> दिनांक: 29/01/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के खाता स0 244/236 व खाता स0 241/235 व रोही मौजा सोनड़ी के खाता स0 551/452 व रोही मौजा भूकरका के खाता स0 802/800 में वादी के नाम दर्ज कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में वादी का नाम क्रमशः सुभाष पुत्र लुणाराम, सुभाषचन्द्र पुत्र लुणाराम व सुभाष चन्द्र सुथार पुत्र लुणाराम दर्ज है, जो कि गलत है वादी का सही व वास्ततिक नाम सुभाष चन्द्र सुथार पुत्र लुणाराम सुथार है। राजस्व रिकार्ड में नाम में भिन्नता होने के कारण वादी अपनी खातेदारी का सही उपयोग उपभोग नही कर पा रहा है। इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम सुभाष चन्द्र सुथार पुत्र लुणाराम सुथार संशोधित करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई दफा कहा की राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सही कर देवे तो कुछ दिन तो आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार नोहर, भू0अ0 निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रेषित की गई की राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम क्रमशः सुभाष पुत्र लुणाराम एवं सुभाषचन्द्र पुत्र लुणाराम के स्थान पर सुभाष चन्द्र सुथार पुत्र लुणाराम सुथार किया जाना उचित है।

बहस अधिवक्ता वकील वादी सुनी गई। वकील वादी को सुना गया वकील वादी ने निवेदन किया कि वादी का सही नाम सुभाष चन्द्र सुथार पुत्र लुणाराम सुथार है जबकि राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हो गया जिससे वादी को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और वादी अपनी खातेदारी के नियमित उपयोग–उपभोग से वंचित है। अत वादी का वाद डिक्री किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.02 11:16:10 IST
Reason: SelfAttested

Rahul.
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार मौजा चक राजासर तहसील नोहर के खाता स0 244/236 व खाता स0 241/235 व रोही मौजा सोनड़ी के खाता स0 551/452 व रोही मौजा भूकरका के खाता स0 802/800 में वादी के नाम दर्ज कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में वादी का नाम क्रमशः सुभाष पुत्र लुणाराम, सुभाषचन्द्र पुत्र लुणाराम व सुभाष चन्द्र सुथार पुत्र लुणाराम दर्ज है, जबकि वादी द्वारा दस्तावेजात में वादी का नाम सुभाष चन्द्र सुथार पुत्र लुणाराम सुथार दर्ज है एवं तहसीलदार रिपोर्ट में वादी का नाम सुभाष चन्द्र सुथार पुत्र लुणाराम सुथार करने की अभिशंषा की गई है। अतः वाद वादी तहसीलदार नोहर, भू0अ0 निरीक्षक एवं पटवारी की रिपोर्ट तथा वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी तहसीलदार नोहर, भू0अ0 निरीक्षक एवं पटवारी की रिपोर्ट एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के खाता स0 244/236 व खाता स0 241/235 व रोही मौजा सोनड़ी के खाता स0 551/452 व रोही मौजा भूकरका के खाता स0 802/800 में वादी के नाम दर्ज कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में **वादी का नाम क्रमशः सुभाष पुत्र लुणाराम, सुभाषचन्द्र पुत्र लुणाराम व सुभाष चन्द्र सुथार पुत्र लुणाराम के स्थान पर सुभाष चन्द्र सुथार पुत्र लुणाराम सुथार के अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है।** यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच नत्थुराम पुत्र जीतराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का सुभाष पुत्र लुणाराम, सुभाषचन्द्र पुत्र लुणाराम व सुभाष चन्द्र सुथार पुत्र लुणाराम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम सुभाष पुत्र लुणाराम, सुभाषचन्द्र पुत्र लुणाराम व सुभाष चन्द्र सुथार पुत्र लुणाराम नाम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ....29/01/26.... को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.02 11:16:10 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 1000/2022

अनवान : –

1. सुभाष चन्द्र सुथार पुत्र लुणाराम जाति सुथार निवासी चक राजासर तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955 प्र0स0 1000 वर्ष 2023 निर्णय दिनांक 29/01/26

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट एवं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के खाता स0 244/236 व खाता स0 241/235 व रोही मौजा सोनड़ी के खाता स0 551/452 व रोही मौजा भूकरका के खाता स0 802/800 में वादी के नाम दर्ज कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में **वादी का नाम कमशः सुभाष पुत्र लुणाराम, सुभाषचन्द्र पुत्र लुणाराम व सुभाष चन्द्र सुथार पुत्र लुणाराम के स्थान पर सुभाष चन्द्र सुथार पुत्र लुणाराम सुथार के अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है।** यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच नत्थुराम पुत्र जीतराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का सुभाष पुत्र लुणाराम, सुभाषचन्द्र पुत्र लुणाराम व सुभाष चन्द्र सुथार पुत्र लुणाराम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम सुभाष पुत्र लुणाराम, सुभाषचन्द्र पुत्र लुणाराम व सुभाष चन्द्र सुथार पुत्र लुणाराम नाम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनाक 29/01/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.02.02 11:16:10 IST
Reason: SelfAttested

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर